संख्या–1353 / 33–3–2022–116 / 2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2022

विषय–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 के स्थायित्व एवं ओ0डी0एफ0 प्लस की गतिविधियों को ग्राम पंचायत में सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न तकनीकी विकल्पों का डिजाईन एवं स्टीमेट के संबंध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 के स्थायित्व एवं ओ0डी0एफ0 प्लस की गतिविधियों का क्रियान्वयन प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित प्रबन्धन हेतु किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित प्रबन्धन हेतु तकनीकी विकल्पों का डिजाईन इस्टीमेंट एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित मार्ग–दर्शिका तैयार कर प्रदेश के समस्त जनपदों एवं विकास खण्डों में उपलब्ध कराया गया है। उसमें समस्त सम्भावित तकनीकी विकल्पों का यूनिट इस्टीमेंट कास्ट निर्धारित किया गया है। तकनीकी विकल्पों का विवरण व यूनिट लागत निम्नवत हैः–

क्र0सं0	तकनीक का नाम	मार्ग–दर्शिका में पृष्ठ सं0	लागत (रूपये में)
1	व्यक्तिगत शौचालय	संलग्नकः01	12000.00 (प्रोत्साहन धनराशि)
2	सामुदायिक शौचालय	संलग्नकः02	385000.00
3	व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढ़ा (1.2 मी. व्यास और 1 मी. गहराई)	48–50	4050.00
	सामुदायिक सोख्ता गड्ढ़ा (2.5 मी. व्यास और 1.6 मी. गहराई)	50–51	14950.00
	व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढ़ा (1.7 मी. व्यास और 1.25 मी. गहराई)	52–53	6275.00
	सामुदायिक सोख्ता गड्ढ़ा (2.7 मी. व्यास और 3 मी. गहराई)	54	22650.00
4	सामुदायिकं कम्पोस्ट पिट	23–24	2225.00
5	विन कम्पोस्टिंग	25–26	300.00
6	नाडेप कम्पोस्टिंग	27–28	5300.00
7	हीप कम्पोस्टिग	30–31	33100.00
8	वर्मी कम्पोस्टिंग	34–36	29300.00
9	गोबरधन	37–38	50,00000.00
10	प्लास्टिक मैनेजमेंट	40–43	16,00000.00
11	डब्लू.एस.पी.	57–60	373225.00

Amit Sri.

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत ठोस एवं तरल के उचित प्रबन्धन हेतु विभिन्न तकनीकी विकल्पों की मार्ग–दर्शिका में इस्टीमेंट का विकल्पवार दर निर्धारित किया गया है। उपरोक्त कार्यों को करने के लिए प्रश्नगत मार्ग–दर्शिका के डिजाइन व स्टीमेट के अनुसार उसे यूनिट कास्ट मानते हुए कार्य किया जाएगा इसके लिए अलग से स्टीमेट व डिजाइन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार वर्णित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत कार्यपूर्ति रिपोर्ट प्राप्त कर भुगतान किया जा सकेगा।

तदनुसार कार्य को क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार सिंह) 29.6.22
अपर मुख्य सचिव।

Amit Srl.